

निर्माण कार्य शनिवार तक प्रारंभ हो जायें—कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम समीक्षा बैठक में ठेकेदारों को दिये निर्देश

रत्नाम 2 मार्च । रत्नाम शहर में नगर निगम द्वारा बड़ी संख्या में कार्य स्वीकृत किए गए हैं परंतु कार्य होते दिखाई नहीं दे रहे हैं सभी इंजीनियर और ठेकेदार यह सुनिश्चित करें कि जितने भी स्वीकृत कार्य हैं वे सभी कार्य आगामी शनिवार तक हर हाल में प्रारंभ हो जाए अन्यथा ठेकेदार की अर्नेस्ट मनी जप्त कर ली जाएगी उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा उपरोक्त निर्देश कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम ने नगर निगम के ठेकेदारों को बैठक में दिए, बुधवार शाम सिविक सेंटर सभाकक्ष में आयोजित बैठक में निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया कार्यपालन यंत्री श्री मोहम्मद हनीफ शेख श्री सुरेश चंद्र व्यास सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी आदि उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर द्वारा नगर निगम के सड़क निर्माण, नाली, पेवर निर्माण आदि कार्यों की समीक्षा की गई

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री पुरुषोत्तम ने कहा कि जो वर्क आर्डर जारी हो चुके हैं परंतु अनुबंध नहीं हुआ है उन ठेकेदारों को अनुबंध संपादित करके दो दिवस में कार्य प्रारंभ करना होगा आगामी शनिवार को कलेक्टर द्वारा स्वयं निरीक्षण किया जाएगा उस दिन साइट पर उपर्यंत्री के साथ—साथ ठेकेदार भी मौजूद रहे।

बैठक में बताया गया कि शहर में जो सड़कें निर्माणाधीन हैं उनमें मॉर्निंग स्टार स्कूल से टैंकर रोड तक सीसी सड़क कार्य इंद्रलोक नगर मेन रोड पर डामरीकरण डोंगरे नगर पानी की टंकी के पास सीसी निर्माण तथा मुक्तिधाम से गुरु राम दास होते हुए देवरा देवनारायण तक डामरीकरण सम्मिलित है इसके अलावा विनोबा नगर टंकी से ग्लोबस गेट तक डामरीकरण जय बाबा स्कूल वाली सड़क पर डामरीकरण अंबे माता चौक से राधे कृष्ण मंदिर होते हुए साई बिल्डिंग तक डामरीकरण सड़क निर्माण एवं 80 फीट रोड से रत्नपुरी तक डामरीकरण कार्य के कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं बताया गया कि सुयोग परिसर से पी एम ए वाई बिल्डिंग मुखर्जी नगर तक सीसी सड़क निर्माण पद्मश्री बार सैलाना रोड से कस्तूरबा नगर गली नंबर 6 तक सीसी रोड निर्माण तथा रॉकेट लॉन्ड्री से आरोग्य हनुमान मंदिर तक सीसी सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है बताया गया कि डामर एवं पेवर ब्लॉक के प्रथक प्रथक प्राक्कलन तैयार करके जिन कार्यों की स्वीकृति ली जाना ह उनमें डालू मोदी बाजार से गणेश देवरी तक डामरीकरण एवं पेवर ब्लॉक रानी जी के मंदिर से हरदेव लाला की पीढ़ी तक सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक रानी जी के मंदिर से नाहरपुरा चौराहा तक सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना नीम चौक में सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना माणक चौक क्षेत्र में डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक कार्य डालू मोदी बाजार से घास बाजार तक सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य चांदनी चौक से घास बाजार तक सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य शहीद चौक से रानी जी के मंदिर तथा गणेश देवरी तक डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य शामिल हैं।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री मोहम्मद हनीफ शेख, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, प्रभारी सहायक यंत्री श्री एम.के. जैन, श्री अनवर कुरेशी, उपर्यंत्री सर्वश्री सुहास पंडित, बी.एल. चौधरी, राजेश पाटीदार, मनीष

तिवारी, ब्रजेश कुशवाह, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, निज सहायक श्री सुभाष गोयल, सहायक वर्ग ३ श्री कैलाश गेहलोत सहित निमाण कार्यों के ठेकेदार उपस्थित थे।

नगर निगम ने पकड़ी संपत्तिकर टेक्स चोरी

8 व्यक्तियों को 5 गुना शास्ति के साथ दिया संपत्तिकर का बिल

रतलाम 02 मार्च । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार संपत्तिकर विभाग के अमले द्वारा नगर में 5000 स्क्वेयर फीट से अधिक के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, भवनों की नपती की जा रही है जिसके तहत विवरणी में दर्शाये गये क्षेत्रफल से अधिक का ऐरिया पाये जाने पर संबंधित पर अधिक क्षेत्रफल का बिल 5 गुना शास्ति के साथ दिया जा रहा है।

संपत्तिकर विभाग द्वारा 5000 स्क्वेयर फीट से अधिक के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, भवनों की नपती के तहत भवन का क्षेत्रफल अधिक पाये जाने पर अब्दुल अजीज—हुसैन बक्ष अल अजीज मार्केट को 346753, अब्दुल अजीज, अब्दुल रशीद—अब्दुल करीम अल रहमत मार्केट को 783586, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद विकार, मोहम्मद अशफाक—अब्दुल रशीद ए के प्लाजा को 227598, श्रीमती सायरा बानो पति मोहम्मद उमर, एहमद हुसैन, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद इकबाल निखार मार्केट को 666072, पारसमल—पूनमचन्द, शारदा—पारसमल कॉलेज रोड को 397265, श्रीमती सावित्री देवी पति जगदीशचन्द्र माहेश्वरी महर्षि दयानन्द मार्ग 142350, पन्नालाल—झमकलाल, आशीष—पन्नालाल कटारिया बजाजखाना को 93541 व श्रीमती ललीताबाई पति छोटेलाल गांधी, मनसुखलाल—मगनलाल, अर्पित—मनसुखलाल गांधी चांदनी चौक को 427237 का धारा 138 के तहत बिल निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार दिया गया है। 7 दिवस को समयावधि में देय बिल की राशि जमा नहीं कराने पर शक्ति पत्र जारी कर संबंधित की संपत्ति कुर्क की जावेगी।

अंकुर अभियान के तहत विभिन्न उद्यानों में 490 पौधों का किया रोपण

रतलाम 02 मार्च । प्राण वायु हेतु शासन द्वारा 1 से 5 मार्च तक चलाये जा रहे अंकुर अभियान के दुसरे दिन नगर के विभिन्न उद्यानों में निगम आयुक्त श्री सामनाथ झारिया के निर्देशन में विभिन्न प्रजातियों के 490 पौधों का रोपण किया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि शासन द्वारा चलाये जा रहे अंकुर अभियान के तहत 2 मार्च बुधवार को गोपाल गौशाला कालोनी उद्यान, अटल उद्यान, राजेंद्र नगर, भगत सिंह उद्यान, ओसवाल नगर उद्यान, गांधीनगर उद्यान, नगर निगम, जैन कॉलोनी, थावरिया बाजार, रामबाग, वकील कॉलोनी, महालक्ष्मी नगर, समता परिसर, गुलमोहर कॉलोनी, मित्र निवास कॉलोनी, गुलाब चक्र, जवाहर नगर, विनोबा नगर, अंबिका नगर, सरस्वती नगर, क्रिश्चियन कॉलोनी सहित अन्य उद्यानों में शीशम, केशिया, गुड़हल, नीम, करंज, अमलतास, कनेर आदि प्रजातियों का पौधा रोपण करते हुए 490 पौधों का रोपण किया गया।

नगर निगम के विभिन्न करों से 13.58 लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रतलाम 02 मार्च । संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास शाखा, बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करों के तहत 02 मार्च बुधवार को कुल राशि रूपये 13,58,314/- का राजस्व प्राप्त हुआ ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 02 मार्च बुधवार को संपत्तिकर शिविर से 175386, कार्यालय 233448, वसूली दल 562115 कुल 970949, जलकर शिविर 84850, कार्यालय 124990, वसूली दल 42286 कुल 252126, दुकान गुमटी किराया कार्यालय 12725, वसूली दल 122520 कुल 135245 इस तरह कुल राशि रूपये 13,58,314/- का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ ।

**प्लाट पर गंदगी पाये जाने पर भगवान भाई पर 10 हजार का जुर्माना
खुले में गंदगी करने पर 10 व्यक्तियों पर जुर्माना
जुर्माने के रूप में 12,900/- राशि वसूली**

रतलाम 02 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 01 मार्च मंगलवार को 3 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया ।

निगम आयक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार न्यू रोड क्षेत्र में प्लाट पर गंदगी पाये जाने पर प्लाट मालिक भगवान भाई पर 10000, शहरी क्षेत्र में पशु पालन कर गंदगी करने पर सतीश व्यास पर 1000, खुले में कचरा एवं गंदगी करने पर विजय डामोर पर 500, रवि, शांतिलाल, अरबाज, लक्ष्मणसिंह सोनगरा, शिवशक्ति कैफे, राधश्याम व योगेन्द्र पर 200—200 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी ।

नेशनल लोक अदालत का 12 मार्च शनिवार को आयोजन

**संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा करने पर अधिभार (सरचार्ज) की राशि में छूट
बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राशि**

रतलाम 02 मार्च । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 12 मार्च 2022 शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है ।

आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट ।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिष्ठत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा

अधिभार की राशि रूपये 10,000/- से अधिक तथा रूपये 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया हाने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार (One Time Settlement) ही दी जायेगी। यह छूट वर्ष 2020–21 तक की बकाया राशि पर ही देय हागी। यह छूट मात्र दिनांक 12/03/2022 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 12 मार्च 2022 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें।

02 मार्च को 93 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 02 मार्च। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 02 मार्च बुधवार को 93 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

02 मार्च बुधवार को डम्पर से 34685, ट्रैक्टर से 12205, काम्पेक्टर सूखा कचरा 36615, काम्पेक्टर गीला कचरा 9790 किलो इस तरह कुल 93295 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

27 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त

रतलाम 02 मार्च। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति का चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 19 व दोपहर की शिफ्ट में 8 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलंबन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

02 मार्च बुधवार को वार्डों में सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में सावित्रीबाई पति राजेश, सुनील-शंकरलाल, अशोक-अर्जून, सुरेन्द्र-नेहरू,

विजय—फुलचन्द, अजय—विनोद, विककी—दिनेश, सचिन—रामसेवक, उमेश—प्रहलाद, पुष्पाबाई—प्रहलाद, झोन क्रमांक 2 में सोमदीप—सुदेश, महेश—देवकरण, रवि—सुरेश, शकुन्तलाबाई पति अर्जून, झोन क्रमांक 3 में चन्दबाई पति नन्दकिशोर, झोन क्रमांक 4 में हिम्मत, विशाल—कुवंरपाल, संदीप, जितेन्द्र—बेजू, दोपहर झोन क्रमांक 1 में मोहन—मांगीलाल, संजय—बालु, झोन क्रमांक 2 में शीलाबाई पति ओमप्रकाश, गीताबाई पति ओमप्रकाश, राजेश—रामप्रसाद, शारदाबाई पति राजेश, राकेश—रामप्रसाद, झोन क्रमांक 4 में आनन्द—बाबुलाल इस तरह 27 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलंबन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते हैं उन्हे सेवा से बर्खास्त/निलंबन की कार्यवाही की जायेगी।

रात्रीकालिन सफाई के 3 सफाई मित्रों का 1 दिवस का वेतन काटा सेवा से बर्खास्त किये जाने का जारी किया कारण बताओ सूचना—पत्र तीन दिवस तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी होंगे बर्खास्त

रतलाम 02 मार्च। शहर को साफ—स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगर की 4 व 2 लेन सड़क, मुख्य सड़के, व्यावसायिक क्षेत्र, प्रमुख चौराहे, उद्यान आदि की रात्रीकालिन सफाई हेतु नियुक्त 100 सफाई मित्रों में से 3 सफाई मित्रों द्वारा 02 मार्च बुधवार को बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 1 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के तहत 02 मार्च बुधवार को अमित—बालकिशन, विशाल—कैलाश, राजेश—मोहनलाल द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर 1 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। बिना सूचना के लगातार तीन दिवस अनुपस्थित रहने वाले सफाई मित्रों को सेवा से बर्खास्त किया जायेगा।

100 माईक्रोन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 02 मार्च। रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक (प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्ड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झाण्डे, कैंडी स्टिक, आईस्क्रीम स्टीक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकॉल, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, ग्लास, फोर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, स्वीट बाक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कच्छर करने वाली पकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टिर्रस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनर) के उपयोग को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक (पॉलीथीन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एवं ना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ, सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराये रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 02 मार्च । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से कराये अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान का गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भाँति छोड़ दिया जा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे श्वान पालक जिन्होंने अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना-पत्र जारी किये जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले श्वान पालकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000/- एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500/- प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100/- रूपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम् 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने श्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

दिलबहार चौराहे पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली शिविरों का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 95.43 लाख व जलकर 25 लाख की बकाया राशि जमा कराई

रतलाम 02 मार्च । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर आयोजित किये गये हैं जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेंगे।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 3,28,822/- व जलकर 54,850/-, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,62,575/- व जलकर 34,520/-, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 3,02,013/- व जलकर 63,450/-, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,85,292/- व जलकर 1,19,720/-, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 3,20,857/- व जलकर 62,950/-, तिरुपति नगर शिविर में संपत्तिकर 1,28,977/- व जलकर 28,870/-, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,16,000/- व जलकर 14,000/-, इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास शिविर में संपत्तिकर 2,51,600/- व जलकर 1,04,640/-, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 8,61,206/- व जलकर 1,21,090/-, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 2,14,000/- व जलकर 47,000/-, डॉगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 2,54,422/- व जलकर 83,700/-, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 1,71,500/- व जलकर 27,540/-, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,96,281/- व जलकर 40,240/-, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,45,000/- व जलकर 31,760/-, काठजू नगर शिविर में संपत्तिकर 3,36,077/- व जलकर 72,440/-, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 98,534/- व जलकर 37,465/-, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 87,732/- व जलकर 36,660/-, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,91,455/- व जलकर 92,125/-, बोहरा बाख्वल शिविर में संपत्तिकर 4,97,298/- व जलकर 64,770/-, रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1,59,241/- व जलकर 28,140/-, लकड़पीठा शिविर में संपत्तिकर 6,11,920/- व जलकर 1,56,600/-, धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 3,60,338/- व जलकर 1,67,280/-, किरण टॉकिंज शिविर में संपत्तिकर 3,89,541/- व जलकर 76,625/-, आनन्द कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,20,807/- व जलकर 37,520/-, प्रताप नगर शिविर में संपत्तिकर 1,91,836/- व जलकर 72,860/-, महावीर नगर शिविर में संपत्तिकर 87,741/- व जलकर 37,140/- पैलेस रोड शिविर में संपत्तिकर 2,81,036/- व जलकर 89,570/-, चौगानिया भैरू मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 91,157/- व जलकर 46,510/-, सायर चबुतरा शिविर में संपत्तिकर 1,62,036/- व जलकर 1,05,060/-, चौमुखी पुल शिविर में संपत्तिकर 5,20,421/- व जलकर 1,62,610/-, बजाजखाना शिविर में संपत्तिकर 3,19,606/- व जलकर 98,030/-, शास्त्रीनगर शिविर में संपत्तिकर 4,48,489/- व जलकर 1,10,940/-, दो बत्ती शिविर में संपत्तिकर 2,88,212/- व जलकर 77,175/-, दिलबहार चौराहा शिविर में संपत्तिकर 2,96,446/- व जलकर 1,31,870/- की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरों के वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 3 मार्च को स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये हैं।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये हैं इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

3141 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 112 हितग्राही हुए लाभान्वित पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 02 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूँजी हेतु 2636 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यशील पूँजी हेतु 205 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 107 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाइल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही 15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 02 मार्च । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलों के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलों को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 02 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हावें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पुथक-पुथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 02 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक—पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक—पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 02 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण—2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर—1 बनाने हेतु नगर निगम टूट संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले—नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले—नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ—सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्ड में साफ—सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/02.03.2022/न.पा.निगम, रतलाम.